संख्याः /XVII-B-1/2025–01(24)/2021 ई–26435

प्रेषक,

डा0 पराग मधुकर धकाते,
विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः अगस्त, 2025

विषय– वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में प्रावधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून के पत्र संख्या–330, दिनांक 25 अगस्त, 2025 एवं पत्र संख्या–333, दिनांक 27 अगस्त, 2025 के द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट मांग प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष **संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित योजनाओं/विवरणानुसार** कुल धनराशि **₹ 550.00/– (₹ पांच करोड़ पचास लाख मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(I)/2025, दिनांक 31.03.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
3. उक्त धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिस व्यय करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
4. मितव्ययता के विषय में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/राज्य सरकार को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार समर्पित नहीं किया जाता है, तो उसका पूर्णदायित्व निदेशालय/निगम का होगा।
6. स्वीकृत धनराशि की फंड ऑफ पार्किंग किसी भी दशा में न की जाये तथा स्वीकृत धनराशि समयान्तर्गत पूर्ण रूप से व्यय कर ली जायेगी। यदि धनराशि की फंड ऑफ पार्किंग की जाती है, तो उसका पूर्णदायित्व निदेशालय/निगम का होगा।
7. उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय किये जाने के संबंध में संबंधित योजनाओं की गाईडलाईन्स का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....

8. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2025 द्वारा दिये गये निर्देशों सहित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत **संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित योजनावार** लेखाशीर्षकों की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश शासनादेश संख्या–130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई.डी. संख्या–..... .....दिनांक अगस्त, 2025 द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by Parag Madhukar Dhakate
Date: 01-09-2025 18:47:27

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
विशेष सचिव।

संख्या : ( )/XVII-B-1/2025–01(24)/2021 ई–26435 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंहनगर/नैनीताल।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
उप सचिव।

परिशिष्ट–1

शानादेश संख्या– /XVII-B-1/2024–01(24)/2021, दिनांक अगस्त, 2025 का संलग्नक।

क्र. सं.	योजना का लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जा रही धनराशि (₹ लाख में)
1.	लेखाशीर्षक '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण–04–अल्पसंख्यकों का कल्याण–800–अन्य व्यय–06–**मुख्यमंत्री हुनर योजना का संचालन**' के मानक मद–56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	200.00
2.	लेखाशीर्षक '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण–04–अल्पसंख्यकों का कल्याण–277–शिक्षा–04–**मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउण्डेशन**' के मानक मद–56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	200.00
3.	लेखाशीर्षक '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण–04–अल्पसंख्यकों का कल्याण–190–सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य के लिए सहायता–02–**अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को विकास कार्यों के संचालन हेतु सहायता**' के मानक मद–08–पारिश्रमिक में 50.00 लाख एवं मानक मद–56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में 100.00 लाख	150.00
	योग–	**550.00**

(₹ पांच करोड़ पचास लाख मात्र)

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
विशेष सचिव।